दिनांक 27.10.08 को राजेश निवासी ग्राम पिपलू अपने खेत में पानी देने गया था, जिसकी मो0सा0 खेत में पडी मिली थी व खून के कुछ निशान भी थे। राजेश के पिता की रिपोर्ट पर थाना बडनगर में अपराध क्रमांक 405/08 धारा 364 भादवि पंजीबद्ध किया गया था तथा एक लाश दिनांक 30.10.08 को इंगोरिया चम्बल नदी पर मिली थी, जिसकी पहचान राजेश के पिता द्वारा उसके पुत्र के रूप में की जाने पर प्रकरण में धारा 302,201,34 भादवि बढाई गई। इस अज्ञात अपहरण व अंधे कत्ल का पता लगाया जाकर आरोपी बंटी पिता कैलाश को दिनांक 6.11.08 को गिरफ्तार किया गया।